



विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या-आरआरसी-01/2019 (स्तर-1 पद) के पैरा 15.1 के संबंध में
शुद्धिपत्र और संशोधन संख्या-4 दिनांक 07.04.2022 का परिशिष्ट संख्या-1

सीईएन सं.आरआरसी-01/2019 (स्तर-1 पद)
(7वें सीपीसी मैट्रिक्स के स्तर-1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती) जारी करने की तिथि: 12.08.2022

आरआरबी की वेबसाइटों के माध्यम से 23.02.2019 को प्रकाशित विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या आरआरसी-01/2019 और शुद्धिपत्र और संशोधन संख्या - 4 (07.04.022 को प्रकाशित) के संदर्भ में, निम्नलिखित पैरा 15.1 में सम्मिलित किया गया है।

सभी पारियों में सामान्यीकरण के लिए, आरआरबी पर्सेंटाइल तुल्यता का प्रयोग करेगा।

1. पर्सेंटाइल स्कोर: पर्सेंटाइल स्कोर उन सभी के सापेक्ष प्रदर्शन पर आधारित स्कोर हैं जो परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षार्थियों की प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदल दिया जाता है। पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं है।
2. पर्सेंटाइल स्कोर उन अभ्यर्थियों के प्रतिशत को इंगित करता है, जिन्होंने उस परीक्षा में उस विशेष पर्सेंटाइल के बराबर या उससे कम (समान या कम रॉ स्कोर) प्राप्त किए हैं। इसलिए, प्रत्येक शिफ्ट के टॉपर (उच्चतम स्कोर) को 100 का समान प्रतिशत मिलेगा जो वांछनीय है। उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच प्राप्त अंकों को भी उपयुक्त प्रतिशत में बदल दिया जाता है।
3. पर्सेंटाइल स्कोर परीक्षा के लिए सामान्यीकृत स्कोर होगा (अभ्यर्थियों के रॉ स्कोर के बजाय) और इसका उपयोग मेरिट सूची तैयार करने के लिए किया जाएगा।
4. किसी विशेष शिफ्ट के लिए अभ्यर्थी के प्रतिशत अंक की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी

अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर या उससे कम के रॉ स्कोर के साथ
'शिफ्ट' में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या

$$\text{पर्सेंटाइल स्कोर} = \frac{\text{अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर या उससे कम के रॉ स्कोर के साथ 'शिफ्ट' में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या}}{\text{'शिफ्ट' में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या}} \times 100$$

5. सभी शिफ्टों के लिए सभी अभ्यर्थियों के रॉ स्कोर के लिए पर्सेंटाइल स्कोर को मिला दिया जाएगा और इसे आरआरसी स्कोर कहा जाएगा, जिसका उपयोग तब परिणामों के संकलन और योग्यता आवंटन को तय करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा।
6. बचिंग प्रभाव से बचने और संबंधों को कम करने के लिए पर्सेंटाइल स्कोर की गणना 5 दशमलव स्थानों तक की जाएगी।
7. समान सामान्यीकृत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मामले में टाई को तोड़ने के लिए उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी अर्थात्, बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो नाम का वर्णानुक्रम (ए से जेड) ध्यान में रखा जाएगा।
8. तथापि रेल प्रशासन के पास तकनीकी विचारों के आधार पर फॉर्मूला को संशोधित करने/अलग-अलग फॉर्मूले अपनाने का अधिकार सुरक्षित है।

सीईएन संख्या आरआरसी-01/2019 के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।